कार्यालय, निदेशक–माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/2020–21 दिनांकः– 26.11.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु)
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा ।

विषयः– शैक्षिक सत्र 2020–21 में आवेदन करने वाली गैर सरकारी सस्थांओं के आवेदन पत्रों में आक्षेप पूर्ति हेतु अनलॉक किये गये प्रकरणों को लॉक किये जाने की सुविधा प्रदान किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एंव विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त पत्रों/परिवेदनाओं के माध्यम से विभाग के यह संज्ञान में आया है कि गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा मान्यता/कमोन्नति आदि के प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा आक्षेपित किये गये प्रकरणों के आक्षेपों की पूर्ति दीपावली अवकाश एवं अन्य कारणों से निर्धारित 05 दिवस की अवधि में आक्षेप पूर्ति कर लॉक नहीं किया गया । अतः इस संबंध में सभी संबंधितो को सूचित किया जाता है कि उक्त आक्षेपों की पूर्ति के लिए पोर्टल पर प्रदत्त सुविधा को दिनांक 10.12.2020 तक विस्तारित किया जाता है। इस अवसर के पश्चात यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय द्वारा आक्षेपों की पूर्ति कर लॉक नही किया जाता है तो प्रकरण उसी स्तर पर खारिज माना जायेगा।

सभी संबंधित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपी निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1.तकनीकी निदेशक, NIC ,शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाकर अधोहस्ताक्षकर्ता को तत्काल अवगत करावें।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर